

प्रशासनिक स्वीकृति

राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपररेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तों के अध्यक्षीन होगी।
2. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा


800- अन्य व्यय

(03)- (राहत कार्यों पर व्यय)

(07)- [प्रशिक्षण-व्यय]


29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 332100156 दिनांक 05.03.2021 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

  
(कल्पना अग्रवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

  
संयुक्त शासन सचिव